न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17/2024
GCMS Case Reg. 2024/112

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री दिनेश निनामा पिता खातु निनामा निवासी आडीभीत, पटवार हल्का कटुम्बी, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा
2. खातु पिता जीवा निवासी आडीभीत, पटवार हल्का कटुम्बी, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा
3. सविता पुत्री खातु निनामा निवासी आडीभीत, पटवार हल्का कटुम्बी, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाडा
2. भूमिधारी, तहसीलदार तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

उपस्थित: 1– श्री शंकरलाल निनामा, – अधिवक्ता, प्रार्थी पक्ष

2– श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 25–02–2025

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगणो की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा क्रमांक राजस्व/ एनपीसीआईएल/ 2020/ 4313 [illegible] 12–2020 प्रार्थी का अवार्ड वर्ष 2020 में निरस्त करने का कारण यह बताया गया कि प्रार्थीगण भूमिधारी [illegible] जिस कारण से आर एण्ड आर राशि के लाभ प्राप्त [illegible] हो सकता। जबकि पूर्व में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्त भूमि की भू साधक नही थी, भूस्वामी नही थी, राजस्व रेकार्ड में नाम नही था, बावजुद इसके अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमो के अन्तर्गत श्रीमती पूंजी को अवाप्त राशि का लाभार्थी माना एवं उसे आर एण्ड आर की अवाप्त राशि दी गई। इसी प्रकार प्रार्थीगण भी गत 20 वर्षो से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है उनका नाम राजस्व रेकार्ड में नही है तो उन्हे भूअवाप्त राशि प्राप्त करने का अधिकार नही है किन्तु प्रार्थीगण सम्पूर्ण परिवार विस्थापित होने से आर एण्ड आर राशि पाने के नियमानुसार हकदार है।

प्रार्थीगण की माता पूंजी का ग्राम आडीभीत में मकान होकर उक्त मकान पावर प्रोजेक्ट में अवाप्त होने से माता पूंजी को आर एण्ड आर एवं मकान का मुआवजा प्राप्त हुआ है। जबकि प्रार्थीगण माता पूंजी की संतान होकर आडीभीत में निवासरत है व मुआवजा पाने के हकदार है लेकिन प्रार्थीगण को मुआवजा प्राप्त नही हुआ है।

प्रार्थी सं. 2 के पिता व प्रार्थी सं. 1 व 3 के दादा जीवा ने गांव आडीभीत निवासी हमीरा की पुत्री पूंजी के साथ लगभग 75 वर्ष पूर्व विवाह किया व गांव आडीभीत में ही अपने ससुराल में निवासरत रहे एवं ससुराल में हमिरा के घर जमाई बनकर रहा और हमिरा ने अपनी खाते खसरे की भूमि जीवा को दी जिस पर जीवा, माता पूंजी एवं प्रार्थी मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य करते रहे एवं वर्तमान में भी मौके पर काबिज है। आदिवासी समाज में घर जमाई के नाम या पुत्री के नाम से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नही किया जाता था मात्र अपने पुत्रो का नाम ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाताथा जिस कारण प्रार्थी खातु की माता पूंजी के पिता हमिरा की मृत्यु के बाद हमिरा के पुत्रो का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज ईन्द्राज रहा किन्तु पुत्री एवं प्रार्थी की माता पूंजी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज इन्द्राज नही रहा लेकिन भूमि अवाप्ति के वक्त प्रार्थी बालिग होकर आर एण्ड आर की राशि प्राप्त करने का हकदार है।

माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट [illegible] परियोजना के अन्तर्गत अवाप्त योग्य खातेदारी एवं गैर खातेदारी भूमि के [illegible] प्रार्थियो को राजस्व आडीभीत, पटवार मण्डल कटुम्बी, तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा में नियमानुसार अवाप्ति राशि का आवंटन किया गया जिसमें श्रीमती पूंजी पत्नी जीवा जिनका राजस्व रेकार्ड में नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नही था, किन्तु वे अपने उक्त जमीन जिस पर वह काश्त कर रही थी पटवारी रिपोर्ट पर अवाप्ति अधिकारी ने योग्य माना एवं उन्हे विस्थापित प्रभावित जन मानते हुए पुर्नवास एवं पुनर्वास स्थापना के अन्तर्गत सरकार द्वारा मुआवजा राशि रु. 9,61,000/– आवंटित की गई। उक्त आवंटन राशि श्रीमती पूंजी द्वारा नियमानुसार प्राप्त कर ली गई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण भी उक्त भूमि पर निवासरत है व उक्त न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में उनकी कब्जे काश्त की कृषि भूमि भी अवाप्त की गई है व उन्हे विस्थापित होने व पुर्नवास होने का आदेश प्राजेक्ट कर्मियों द्वारा दे दिया गया है। अवाप्ति के समय प्रार्थीगण की उम्र बालिग अवस्था में थी जो कि नियमानुसार विस्थापित होने की एवज में पुर्नस्थापना के अन्तर्गत आर एण्ड आर मुआवजा प्राप्त करने के हकदार थे, किन्तु प्रार्थीगण को उनके उक्त हक से वंचित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त काबिज कृषि भूमि से बेदखल नही हो पा रहे है। जबकि पावर प्लांट के कार्मिक उन्हे बेदखल करने के लिये उतारु है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण को आर एण्ड आर के नियमो के अन्तर्गत उक्त मुआवजा दिलवाकर अन्यत्र पुर्नस्थापित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 64, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 06.12.2024 को अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार छोटी सरवन की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अवार्ड वर्ष 2021 में निरस्त कर दिया गया है। जिसका कारण प्रार्थीगण का भूमिधारी नही होना पाया (बताया) गया है। प्रार्थीयान की माता व दादी पूंजी पुत्री हमीरा [illegible] (खातेदार) नही है। प्रार्थीगण की माता व दादी पूंजी पुत्री हमीरा (पूंजी पत्नी जीवा) [illegible] भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा अवार्ड सं. 23 से मकान की राशि 569914 एवं आर एण्ड आर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

961000 राशि का भूगतान किया गया है। प्रार्थीगण भी इनके साथ ही निवासरत है। राशनकार्ड अनुसार प्रार्थीगण अपनी दादी व माता के साथ निवासरत है।

दिनांक 20.12.2024 को अप्रार्थी सं. 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाडा की ओर से जवाब पेश हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस कार्यालय के पत्रांक 4313 दिनांक 17.12.2020 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज करने सूचित किया गया है। प्रार्थीगण की माता पूंजी पुत्री श्री हमीरा के मकान का अवार्ड संख्या 23 जारी होकर रुपया 569914 का भूगतान दिनांक 24.08.2016 को किया गया है तथा पूंजी पत्नी श्री जीवा के नाम पूर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन का परिलाभ रुपया 9.61 लाख दिनांक 02.12.2021 को भूगतान कर दिया गया है। एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट हेतु धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 07.06.2012 को की गई है। प्रार्थी उक्त अधिसूचना के 3 वर्ष पूर्व से निरन्तर निवासरत होना सिद्ध करे तथा प्रोजेक्ट प्रभावित कुटुम्ब एवं प्रार्थीगण निर्धारित तिथि को बालिग होने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे। सविता पुत्री श्री खातु शादी शुदा संभावित है। अतः अवार्ड तिथि दिनांक 22.08.2015 को शादी शुदा थी अथवा नही सिद्ध करे। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमावे।

दिनांक 30.01.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। दिनांक 12.02.2025 को प्रार्थीगणो की ओर से उनके अधिवक्ता ने आवास सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा उभय पक्षकारान की ओर से पुनः बहस सुनी गई। प्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा क्रमांक राजस्व/ एनपीसीआईएल/ 2020/ 4313 दिनांक 17–12–2020 प्रार्थी का अवार्ड वर्ष 2020 में निरस्त करने का कारण यह बताया गया कि प्रार्थीगण भूमिधारी नही है, जिस कारण से आर एण्ड आर राशि के लाभ प्राप्त नही हो सकता। जबकि पूंजी भी उक्त [illegible] नही थी, भूस्वामी नही थी, राजस्व रेकार्ड में नाम नही था, [illegible] नियमो के अन्तर्गत श्रीमती पूंजी को अवाप्त राशि [illegible] उसे आर एण्ड आर की अवाप्त राशि दी गई। इसी प्रकार प्रार्थीगण भी गत 20 वर्षो से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कृषि कार्य कर रहे है उनका नाम राजस्व रेकार्ड में नही है तो उन्हे भूअवाप्त राशि प्राप्त करने का अधिकार नही है किन्तु प्रार्थीगण सम्पूर्ण परिवार विस्थापित होने से आर एण्ड आर राशि पाने के नियमानुसार हकदार है।

प्रार्थीगण की माता पूंजी का ग्राम आडीभीत में मकान होकर उक्त मकान पावर प्रोजेक्ट में अवाप्त होने से माता पूंजी को आर एण्ड आर एवं मकान का मुआवजा प्राप्त हुआ है। जबकि प्रार्थीगण माता पूंजी की संतान होकर आडीभीत में निवासरत है व मुआवजा पाने के हकदार है लेकिन प्रार्थीगण को मुआवजा प्राप्त नही हुआ है।

प्रार्थी सं. 2 के पिता व प्रार्थी सं. 1 व 3 के दादा जीवा ने गांव आडीभीत निवासी हमीरा की पुत्री पूंजी के साथ लगभग 75 वर्ष पूर्व विवाह किया व गांव आडीभीत में ही अपने ससुराल में निवासरत रहे एवं ससुराल में हमिरा के घर जमाई बनकर रहा और हमिरा ने अपनी खाते खसरे की भूमि जीवा को दी जिस पर जीवा, माता पूंजी एवं प्रार्थी मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य करते रहे एवं वर्तमान में भी मौके पर काबिज है। आदिवासी समाज में घर जमाई के नाम या पुत्री के नाम से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नही किया जाता था मात्र अपने पुत्रो का नाम ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाता था जिस कारण प्रार्थी खातु की माता पूंजी के पिता हमिरा की मृत्यु के बाद हमिरा के पुत्रो का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज ईन्द्राज रहा किन्तु पुत्री एवं प्रार्थी की माता पूंजी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज इन्द्राज नही रहा लेकिन भूमि अवाप्ति के वक्त प्रार्थी बालिग होकर आर एण्ड आर की राशि प्राप्त करने का हकदार है।

माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट मेगावाट परियोजना के अन्तर्गत अवाप्त योग्य खातेदारी एवं गैर खातेदारी भूमि के हितबद्ध योग्य लाभार्थियो को राजस्व आडीभीत, पटवार मण्डल कटुम्बी, तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा में नियमानुसार अवाप्ति राशि का आवंटन किया गया जिसमें श्रीमती पूंजी पत्नी जीवा जिनका राजस्व रेकार्ड में नाम नही था, किन्तु वे अपने उक्त [illegible] कर रही थी पटवारी रिपोर्ट पर अवाप्ति अधिकारी ने योग्य माना [illegible] उन्हें [illegible] मानते हुए पुर्नवास एवं पुनर्वास स्थापना के अन्तर्गत सरकार द्वारा मुआवजा राशि रु. 9,61,000/- आवंटित की गई। उक्त आवंटन राशि श्रीमती पूंजी द्वारा नियमानुसार प्राप्त कर ली गई है। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार प्रार्थीगण भी उक्त भूमि पर निवासरत है व उक्त न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में उनकी कब्जे काश्त की कृषि भूमि भी अवाप्त की गई है व उन्हे विस्थापित होने व पुर्नवास होने का आदेश प्राजेक्ट कर्मियों द्वारा दे दिया गया है। अवाप्ति के समय प्रार्थीगण की उम्र बालिग अवस्था में थी जो कि नियमानुसार विस्थापित होने की एवज में पुर्नस्थापना के अन्तर्गत आर एण्ड आर मुआवजा प्राप्त करने के हकदार थे, किन्तु प्रार्थीगण को उनके उक्त हक से वंचित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त काबिज कृषि भूमि से बेदखल नही हो पा रहे है। जबकि पावर प्लांट के कार्मिक उन्हे बेदखल करने के लिये उतारु है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण को आर एण्ड आर के नियमो के अन्तर्गत उक्त मुआवजा दिलवाने आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण की माता पूंजी पुत्री श्री हमीरा के मकान का अवार्ड संख्या 23 जारी होकर रुपया 569914 का भूगतान दिनांक 24.08.2016 को किया गया है तथा पूंजी पत्नी श्री जीवा के नाम पूर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन का परिलाभ रुपया 9.61 लाख दिनांक 02.12.2021 को भूगतान कर दिया गया है। एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट हेतु धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 07.06.2012 को की गई है। प्रार्थी उक्त अधिसूचना के 3 वर्ष पूर्व से निरन्तर निवासरत होना सिद्ध करे तथा प्रोजेक्ट प्रभावित कुटुम्ब एवं प्रार्थीगण निर्धारित तिथि को बालिग होने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे। सविता पुत्री श्री खातु शादी शुदा संभावित है। अतः अवार्ड तिथि दिनांक 22.08.2015 को शादी शुदा थी अथवा नही सिद्ध करे। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 07.06.2012 को जारी हुई है। प्रार्थी सं. 1 व 3 की दादी व 2 की माता श्रीमती पूंजी पत्नी श्री पत्नि जीवा को भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा अवार्ड संख्या 23 से मकान की राशि 569914 एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत मुआवजा राशि रुपया 961000 का भुगतान किया गया है। मुख्य रुप से प्रार्थीगणो की ओर से यह प्रार्थना पत्र पुर्नवासन और

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पुनर्व्यवस्थापन के तहत मुआवजा प्राप्त नही हाने के कारण परिलाभ दिलाये हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का गहन परिक्षण के पश्चात् निम्नानुसार तीन बिन्दु विचार योग्य है–

1. क्या प्रार्थीगण धारा 4 की अधिसूचना जारी हाने के तीन वर्ष पूर्व से निरन्तर प्रभावित स्थल पर निवासरत रहे है ?
2. क्या वक्त अवार्ड प्रार्थीगण बालिग थे ? यदि हॉ तो बालिग होने के सन्दर्भ में उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है? यदि हॉ तो प्रस्तुत साक्ष्य विधिसम्मत है अथवा नही?
3. प्रार्थी सं. 3 सविता पुत्री खातु निनामा वक्त अवार्ड दिनांक 22.08.2015 को अविवाहित थी? इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य।

बिन्दु सं. 1 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा राशन कार्ड जो वर्ष 2001 में जारी हुआ है कि छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिसका अवलोकन करने पर कुल सदस्य 7 है परन्तु सूची में आठ व्यक्तियों का नाम दर्ज है। संख्या में कांट–छांट है। इस प्रकार राशनकार्ड की वैधता संदिग्ध है। परन्तु परिवार राशनकार्ड 2001 में जारी होकर अप्रार्थीगणो का अपनी माता एवं दादी के साथ नाम सम्मिलित है।

बिन्दु सं. 2 के संबंध में श्री दिनेश पिता खातु की कक्षा 3 व 4 की अप्रमाणित प्रगति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमे उसका विधालय राजकीय प्राथमिक विधालय आडीभीत का प्रवेशांक 436 पर दर्ज होकर जन्म दिनांक 07.07.1996 अंकित है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 1 व 3 द्वारा जन्म सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 3 के आधार कार्ड संलग्न है किन्तु आधार कार्ड को जन्म तिथी प्रमाणित करने का दस्तावेज नही माना जा सकता है।

बिन्दु सं. 3 के संबंध में प्रार्थी सं. 3 सविता पुत्री खातु द्वारा दिनांक 22.08.2015 तक अविवाहित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दुवार विवेचन के पश्चात् प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त तीन बिन्दुओ यथा प्रभावित स्थल पर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से 3 वर्ष पूर्व से निरन्तर निवास होने, प्रार्थीगण के अधिसूचना तिथी को

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बालिग होने, एवं अप्रार्थी सं. 3 के अधिसचूना तिथी तक अविवाहित रहने के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त है तथापि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की भावना के मद्देनजर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिप्रेषित कर भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाडा को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण से पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र एवं पर्याप्त अभिलेख प्राप्त कर तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर नव अजसरे नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner